छ.ग.राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो–बी0एम0वा0चरौदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांकः–219 / छ.ग.दु.म.सं. / क्षेत्र संचालन / 2022 / कृषि मेला　　　　　उरला , दिनांक 08.04.2022

।। अल्पकालीन निविदा ।।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, कृषि मेला में कृषकों के भ्रमण हेतु बस व्यवस्था के लिये दिनांक 11.04.2022 अपरान्ह 3 बजे तक दरें आमंत्रित करता है।

विस्तृत विवरण महासंघ की वेबसाइट www.cgcoopdairyfed.in पर उपलब्ध है।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम–उरला, पो–बी०एम०वाय० चरोदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांकः–219 / छ.ग.दु.म.सं. / क्षेत्र संचालन / 2022 / कृषि मेला   उरला , दिनांक 08.04.2022

।। शेड्यूल–कृषि मेला में कृषकों के भ्रमण हेतु बस व्यवस्था ।।

1.	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की विधि	निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की वेबसाइट www.cgcoopdairyfed.in से 09.04.2022 से डाउनलोड किया जा सकेगा।
2.	निविदा जमा करने की तिथि, समय एवं स्थान	11.04.2022 दोपहर 03:00 बजे तक स्पीड पोस्ट / पंजीकृत पोस्ट एवं व्यक्तिशः द्वारा निम्न पते पर प्राप्त हुई निविदाएं ही शामिल की जावेंगी :– **छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, ग्राम–उरला, पोस्ट – बी.एम.वाय. चरोदा, जिला–दुर्ग, (छ.ग.) पिन : 490025**
3.	निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान	11.04.2022 दोपहर 3:30 बजे छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, ग्राम–उरला, पोस्ट–बी.एम.वाय., चरोदा, जिला–दुर्ग, (छ.ग.) पिन : 490025

नोट :– निविदा प्राप्ति एवं खोलने की तिथि में किसी भी कारण से अवकाश घोषित होने पर इन्हें अगले कार्यदिवस में समान निर्धारित समय तक प्राप्त करते हुए समान निर्धारित समय में खोला जावेगा।

छ.ग.राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो–बी0एम0वा0चरौदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांकः–219/छ.ग.दु.म.सं./क्षेत्र संचालन/2022/कृषि मेला   उरला , दिनांक 08.04.2022

।। कृषि मेला में कृषकों के भ्रमण हेतु बस व्यवस्था परिवहन निविदा की शर्ते।।

1.कार्य का स्वरूप :–

(i) बस दिनांक 13.04.2022 से 15.04.2022 तक संलग्न मार्ग विवरण अनुसार प्रातः 8 बजे प्रारंभ होकर साइंस कालेज बिलासपुर (छ0ग0) तक पहुंचेगी। इसी प्रकार साइंस कालेज बिलासपुर से संध्या 7 बजे पुनः प्रारंभिक स्थान तक संचालन किया जावेगा।

(ii) विशेष/आकस्मिक परिस्थितियों को छोडकर सामान्य परिस्थितियों में बस निर्धारित मार्ग झलप–बिलासपुर–झलप/केदुआ–बिलासपुर–केदुआ/बरपाली–बिलासपुर–बरपाली/निरतु–बिलासपुर–निरतु/आरंग–बिलासपुर–आरंग/सिमगा–बिलासपुर–सिमगा/बंगोली–बिलासपुर–बंगोली/अमेरा–बिलासपुर–अमेरा/बम्हनीडिह–बिलासपुर–बम्हनीडिह/अकलतरी–बिलासपुर–अकलतरी/सरधा–बिलासपुर–सरधा/कंतेली–बिलासपुर–कंतेली से साइंस कालेज बिलासपुर पहुंचेगी एवं साइंस कालेज बिलासपुर स्थित स्टापेज से कृषको को लाने एवं छोडने का कार्य करेगी।

2.पात्रता :–

I. वाहन सामान्य(नॉन ए.सी.) तथा अच्छी रंनिग कंडिशन में होना चाहिए।

II. वाहन से संबंधित रोड टेक्स इत्यादि भरा हुआ होना चाहिए एवं वाहन बीमाकृत होना चाहिए। अन्य दस्तावेज भी नवीनीकृत होने चाहिये।

III. वाहन मालिक को वाहन मालिकी हक का होना आवश्यक होगा। इस हेतु पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें।

IV. निविदा भरने के पूर्व इस कार्य हेतु समस्त शासकीय नियम का पालन नियम/अनुज्ञतियॉ प्राप्त करना निविदाकार की जिम्मेदारी होगी।

3. कार्य की वैधता :–

I. कृषि मेला में कृषको के भ्रमण हेतु बस व्यवस्था दिनांक 13.04.2022 से 15.04.2022 तक की अवधि की होगी।

4. प्रपत्र ''B'' **भाव पत्र :–**

(i) "भाव पत्र/दर" निविदा प्रपत्र में दिये गये प्रारूप में ही प्रस्तुत किया जावे।

(ii) प्रपत्र में सम्पूर्ण जानकारी दी जावे। कॉट–छॉट होने पर नवीन प्रति वेबसाइट से डाउनलोड कर नवीन प्रति को बिना कॉट–छॉट के भरा जावे।

(iii) दरें प्रति ट्रीप/कि.मी. पर दी जानी है। एक ट्रिप की दूरी लगभग 100 कि.मी. से 300 कि.मी. तक संचालित होगी।

(iv) दरें अंको एवं शब्दों दोनो में लिखी जावे। अस्पष्ट होने/अंतर होने पर शब्दों में लिखी गई दरें मान्य की जावेगी। दर समस्त व्यय एवं कर सहित होगी।

5. सामान्य नियम एवं शर्ते :–

1– कृषि मेला में कृषको के भ्रमण हेतु बस के लिए प्रस्तुत निविदा प्रति ट्रिप/कि.मी. आधार पर समस्त व्यय जैसे– ईधन, वाहन अनुरक्षण, बीमा–परमिट–अनुज्ञा–कर आदि का व्यय, चालक एवं परिचालक का वेतन, वर्तमान में प्रचलित टोल टैक्स, वाहन की साज–सज्जा व्यय ह्रास, संचालन लाभ आदि शामिल है, की गणना करते हुए दिया जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा स्वीकृत दरों के अतिरिक्त किसी भी मद में कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा।

...3....

2— वाहन संचालन में दुर्घटना होने पर महासंघ किसी भी प्रकार की कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं करेगा। समस्त आर्थिक/मानवीय हानि की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। वाहन पर किसी भी कारण से आरोपित कोई भी शास्ति की संपूर्ण जिम्मेदारी एवं देयता निविदाकार की होगी।

3— प्राप्त निविदाओं को प्रबन्ध पक्ष द्वारा गठित समिति द्वारा **दिनांक 11—04—2022** को दोपहर **3.30** बजे निविदा प्रस्तुतकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेगी किन्तु यदि निविदा प्रस्तुतकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होते है तो भी निर्धारित समय पर निविदायें प्रबन्ध पक्ष द्वारा गठित कमेटी द्वारा खोली जायेगी।

4— निविदा में वाहन मॉडल, निर्माण वर्ष तथा बैठक क्षमता का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

5— किसी भी निविदाकार द्वारा कोई निविदा सशर्त प्रस्तुत की जाती है अर्थात निविदा में कोई शर्ते रखी जाती है तो ऐसे निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को रहेगा ।

6 घोषणा :— निविदाकार द्वारा निविदा भरा जाना इस तथ्य का द्योतक है कि उसने निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पूर्ण निविदा प्रपत्र (नियम एवं शर्तें) का भली भाति अध्ययन कर समझ लिया है, एवं कोई भी तथ्य/कंडिका समझ न आने पर कार्यालय से उस पर पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली है, तथा वह महासंघ की निविदा में दर्ज नियम एवं शर्तों की कंडिकाओं के अनुरूप कार्य करने पर सहमत है। निविदा भरे जाने के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा।

प्रबन्ध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

छ.ग.राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

ग्राम – उरला, पो–बी0एम0वा0चरौदा, जिला–दुर्ग (छ0ग0)

क्रमांकः–219 / छ.ग.दु.म.सं. / क्षेत्र संचालन / 2022 / कृषि मेला उरला , दिनांक 08.04.2022

।। स्टाफ बस परिवहन हेतु निविदा की दरें प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रपत्र ।।

प्रति,

प्रबन्ध संचालक,

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित,

उरला, पोस्ट– बी.एम.वाय. चरौदा,

जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ)

विषयः– कृषि मेला में कृषको के भ्रमण हेतु परिवहन हेतु किराये पर वाहन चलाने हेतु निविदा की दरें।

संदर्भः– छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा दैनिक समाचार पत्र ''हरिभूमि'' के अंक दिनांक 09–04–2022 में प्रकाशित निविदा सूचना।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा समाचार–पत्र ''हरिभूमि'' के दिनांक 09–04–2022 के अंक में जो निविदा सूचना करायी गई है उसमें मैं निविदा में वांछित कार्य प्राप्त करने का ईच्छुक हूँ। इसके अनुसार मैने निविदा की शर्ते / शर्तो का विवरण एवं निविदा की दरें प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रपत्र बेवसाईट www.cgcoopdairyfed.in से डाउनलोड कर निविदा प्रस्तुत करने की शर्ते एवं ठेके की समस्त शर्त मैने अच्छी तरह से पढकर समझ लीं है तथा उल्लेखित समस्त शर्ते मुझे पूरी तरह से मंजूर है। तदानुसार बस बैठक क्षमता 50 / 35 क्रमांक .... ठेके पर चलाने को उत्सुक हूं।

निविदाकार के हस्ताक्षर

<u>निविदाकार एवं वाहन का पूर्ण विवरण निम्नानुसार है :–</u>

1– निविदाकार का पूरा नाम ....

2– पिता/पति का नाम ....

3– वर्तमान पता ....

....

4– स्थायी निवास का पता ....

....

5– निविदा पत्र हस्ताक्षर करने की ....
तिथि को निविदाकार की आयु

6– निविदाकार के नाम से पंजीयन ....
वाहन का क्रमांक ....

7– वाहन का प्रकार ....

8– वाहन का निर्माणी वर्ष व मेक ....
वर्ष 2018 के पूर्व की न हो

9– वाहन में कितने व्यक्ति को ....
बिठाने की व्यवस्था है?

निविदाकार के हस्ताक्षर

।। निविदा हेतु दरें ।।

एक बस बैठक क्षमता .... सीटर, कृषि मेला में कृषको के भ्रमण हेतु के परिवहन हेतु :-

मार्ग विवरण एवं संचालन शेडयूल

क	दिनांक	मार्ग	अनुमानित दुरी
1	13.4.22	झलप–बिलासपुर–झलप	300 कि.मी.
2	13.4.22	केदुआ–बिलासपुर– केदुआ	400 कि.मी.
3	13.4.22	बरपाली–बिलासपुर–बरपाली	360 कि.मी.
4	13.4.22	निरतु–बिलासपुर–निरतु	120 कि.मी.
5	14.4.22	आरंग–बिलासपुर–आरंग	320 कि.मी.
6	14.4.22	सिमगा–बिलासपुर–सिमगा	250 कि.मी.
7	14.4.22	बंगोली–बिलासपुर–बंगोली	300 कि.मी.
8	14.4.22	अकलतरी–बिलासपुर–अकलतरी	100 कि.मी.
9	15.4.22	अमेरा–बिलासपुर–अमेरा	300 कि.मी.
10	15.4.22	बम्हनीडिह–बिलासपुर–बम्हनीडिह	200 कि.मी.
11	15.4.22	सरधा –बिलासपुर– सरधा	350 कि.मी.
12	15.4.22	कंतेली–बिलासपुर–कंतेली	140 कि.मी.

दर का प्रारूप–

1. निश्चित(न्यूनतम) राशि रू0 ....
   (अंको में) ....
   (शब्दों में) ....
2. प्रति किलोमीटर दर रू0 ....
   (अंको में) ....
   (शब्दों में) ....

वाहन की दरों में एक निश्चित राशि जो बस का न्यूनतम व्यय (बस का किराया, स्टॉफ वेतन, बस मेंन्टेनेंस आदि) होगा जो कमांक 1 पर वर्णित करना है। बिंदु कमांक 2 पर दर्ज राशि प्रति किमी संचालन व्यय अतिरिक्त रूप से देय होगा जो कि वास्तविक संचालन दूरी के आधार पर गणना की जाएगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम, पता एवं मोबाईल नं. – ....

....

....